न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश (समक्षः – सतीश कुमार गुप्ता)

<u>आप0 अपील क0 32/2018</u> संस्थित दिनांक 04.04.2018

ALIMANA PARETO

1.सुनील पुत्र मिठ्ठू यादव आयु 26 वर्ष 2.जीतू पुत्र अनार सिंह यादव आयु 23 वर्ष <u>उक्त दोनों</u> निवासी ग्राम सलमपुरा थाना मौ परगना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

.....अपीलार्थी गण / अभियुक्तगण

विरूद्ध

म०प्र० राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र मौ जिला भिण्ड, म०प्र०प्रत्यर्थी / अभियोगी

अपीलार्थीगण की ओर से— श्री अरूण श्रीवास्तव अधिवक्ता। प्रत्यर्थी राज्य की ओर से— श्री टीवानसिंद गर्जर अपर

प्रत्यर्थी राज्य की ओर से— श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक

न्यायालय श्री अमित कुमार गुप्ता, जे.एम.एफ.सी गोहद द्वारा आपराधिक प्र०क० ४६/२०१५ में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक १४.०३.२०१८ से उत्पन्न आपराधिक अपील कमांक ३२/२०१८

// निर्णय //

(आज दिनांक 03-05-2018 को घोषित)

01. अपीलार्थीगण / अभियुक्तगण सुनील व जीतू की ओर से प्रस्तुत आपराधिक अपील अंतर्गत धारा 374 दं.प्र.सं. का निराकरण किया जा रहा है। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त अपील न्यायालय न्यायिक दंण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद ''श्री अमित कुमार गुप्ता'' के द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 46 / 2015

(म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र मौ, जिला भिण्ड विरुद्ध सुनील आदि) में पारित निर्णय एवं दोषसिद्धी व दण्डादेश दिनांकित 14.03.2018 से व्यथित होकर पेश की गई है, जिसमें विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को धारा 34—1—क म0प्र0 आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए उन्हें कमशः 6—6 माह की अवधि के साधारण कारावास एवं 1000—1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है एवं अर्थदण्ड के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर उन्हें 15—15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया गया है।

विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि ह 02. ाटना दिनांक 04.08.2014 को आरक्षी केंद्र मों में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ फरियादी शेषदेवराम भगत अ०सा०-2 को हमराह फोर्स प्र०आर० सुल्तान सिंह अ०सा०-1 व आरक्षक प्रदीप अ०सा०-4 के साथ पेट्रोलिंग गश्त के दौरान 19:30 बजे से कुछ समय पूर्व मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि दो व्यक्ति वेहट तरफ से मोटरसाईकिल पर अवैध शराब लेकर आ रहे हैं। उक्त सूचना की तश्दीक हेतु करीब 19:30 बजे थाना मौ क्षेत्रान्तर्गत बेहट रोड सौरा मोड की पुलिया के पास पहुंचने पर दो व्यक्ति बेहट तरफ से मोटरसाईकिल से आते दिखे और वे पुलिस को देखकर भागने लगे तो हमराह फोर्स की मदद से उन्हें पकड़कर मोटरसाईकिल क्रमांक एम0पी0 07 एम.पी. 3572 पर बीच में रखे तीन पेटी गत्ते चैक करने पर उनमें देशी मदिरा शराब के 150 क्वार्टर रखे पाये गये एवं पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने अपना नाम सुनील व जीतू होना बताते हुये उक्त शराब के संबंध में कोई लायसेंस नहीं होना बताया। अतः मौके पर ही उपस्थित साक्षीगण प्र0आर0 स्ल्तान सिंह व आरक्षक प्रदीप पचौरी के समक्ष फरियादी शेषदेवराम भगत अ०सा०–२ के द्वारा अभियुक्तगण के कब्जे से उक्त शराब सहित मोटरसाईकिल को जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी0-1 बनाया गया एवं गिरफतारी पत्रक प्र0पी0-2 व 3 के अनुसार अभियुक्तगण सुनील व जीतू को गिरफतार किया गया। तत्पश्चात थाना मौ में वापसी पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 34 म0प्र0 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अप०क० २७४ / १४ पर अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-४ लेखबद्ध की थी। अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धारा के तहत अभियोग पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

- विचारण न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 34-1-क म०प्र० आबकारी 03. अधिनियम के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर अपराध की विशिष्टयाँ अभियुक्तगण को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध घटित किया जाना अस्वीकार करते हुये विचारण की मांग किये जाने पर अभियोजन पक्ष की ओर से मामले के समर्थन में साक्षीगण सुल्तान सिंह अ०सा०-1, शेषदेवराम भगत अ०सा0-2, सुदीप तोमर अ०सा0-3 व प्रदीप पचौरी अ०सा0-4 को परीक्षित कराया गया। अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात् धारा 313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण 04. किये जाने के दौरान अभियुक्तगण ने निर्दोष होना एवं झूंठा फंसाया जाना प्रकट करते हुये बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया। अतः विचारण न्यायालय द्वारा विचारण पश्चात् उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत अंतिम तर्क श्रवण किये जाकर गुण-दोषों के आधार पर मामले का निराकरण करते हुये दिनांक 14.03.2018 को आलोच्य निर्णय एवं दोषसिद्धी व दण्डादेश पारित करते हुये दोनों अभियुक्तगण को धारा ३४–१–क म०प्र० आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाकर क्रमशः 6-6 माह की अवधि के साधारण कारावास एवं 1000–1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है एवं अर्थदण्ड के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर 15–15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया गया है, जिससे व्यथित होकर अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील पेश की गई है।
- 05. अपीलार्थीगण / अभियुक्तगण की ओर से वर्तमान अपील मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय एवं दोषसिद्धी व दण्डादेश विधि एवं तथ्य के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है तथा अभियोजन साक्षियों के कथनों में विरोधाभाष होने से दोषसिद्धी व दण्डादेश को अपास्त करते हुए अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है।
- **06.** राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने आलोच्य निर्णय एवं दोषसिद्धी व दंडादेश को विधि एवं तथ्यों के अनुरूप होना दर्शाते हुये अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।
- 07. अपीलार्थीगण / अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अरूण श्रीवास्तव एवं प्रत्यर्थी के

विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर को सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क0 46/2015 (म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र मौ जिला भिण्ड विरूद्ध सुनील आदि) का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी / अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत इस अपील के निराकरण के लिये 08. विचारणीय प्रश्न निम्न हैं:-

1. क्या अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आपराधिक प्र० क० ४६/२०१५ में अभियुक्त/अपीलार्थीगण सुनील व जीतू की आलोच्य दोषसिद्धि एवं दण्डादेश का जो निष्कर्ष निकाला है, वह त्रुटिपूर्ण होकर अपास्त किये जाने योग्य है ?

::- निष्कर्ष के आधार-::

उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुये इस 09. अपील प्रकरण के एवं उसके साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क्रमांक 46/15 (म०प्र० राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र मौ जिला भिण्ड विरूद्ध सूनील आदि) के संपूर्ण अभिलेख का गहनता से परिशीलन किये जाने पर पाया जाता है कि मामले में फरियादी एवं जप्ती व गिरफतारीकर्ता अधिकारी शेष देवराम अ०सा०-2 का अपने न्यायालयीन कथनों में अभियोजन के मामले के अनुरूप स्पष्ट रूप से तथा दृढ़तापूर्वक कहना है कि घटना दिनांक 04.08.2014 को आरक्षी केंद्र मौ में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुये हमराह फोर्स प्र0आर0 सुल्तान सिंह व आरक्षक प्रदीप के साथ पेट्रोलिंग गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि दो व्यक्ति वेहट तरफ से मोटरसाईकिल पर अवैध शराब लेकर आ रहे हैं। उक्त सूचना की तश्दीक हेतु करीब 19:30 बजे थाना मौ क्षेत्रान्तर्गत बेहट रोड सौरा मोड की पुलिया के पास पहुंचने पर दो व्यक्ति बेहट तरफ से मोटरसाईकिल से आते दिखे और वे पुलिस को देखकर भागने लगे हमराह फोर्स की मदद से पकड़कर मोटरसाईकिल क्रमांक एम0पी0 07 एम.पी. 3572 पर बीच में रखे तीन पेटी गत्ते चैक करने पर उनमें देशी मदिरा शराब के 150 क्वार्टर रखे पाये गये थे।

उक्त साक्षी शेषदेवराम भगत अ०सा०-2 का अपने न्यायालयीन कथनों में आगे कहना है 10.

कि उक्त संबंध में पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने अपना नाम सुनील व जीतू होना बताते हुये उक्त शराब रखने के संबंध में कोई लायसेंस नहीं होना बताया था। अतः मौके पर ही उपस्थित साक्षीगण प्र0आर0 सुल्तान सिंह व आरक्षक प्रदीप पचौरी के समक्ष उसके द्वारा अभियुक्तगण के कब्जे से उक्त शराब सिंहत मोटरसाईकिल कमांक एम0पी0 07 एम.पी. 3572 को जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी0—1 बनाया था एवं गिरफतारी पत्रक प्र0पी0—2 व 3 के अनुसार अभियुक्तगण सुनील व जीतू को गिरफतार किया था। उसके बाद थाना मौ में वापसी पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 34 म0प्र0 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अप0क0 274/14 पर अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्र0पी0—4 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी।

- 11. घटना के तत्काल पश्चात बिना किसी घातक विलंब से दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0—4 एवं जप्ती पत्रक प्र0पी0—1 तथा गिरफतारी पत्रक प्र0पी0—2 व 3 के अवलोकन से भी फरियादी एवं जप्ती व गिरफतारीकर्ता अधिकारी शेष देवराम भगत अ0सा0—2 के उक्त कथनों की भली भांति पुष्टि होना पाई जाती है और उनके मध्य कोई भी महत्वपूर्ण एवं सारवान विसंगति होना नहीं पाया जाता है। प्रश्नगत घटना के समय हमराह फोर्स में शामिल प्र0आर0 सुल्तान सिंह अ0सा0—1 व आरक्षक प्रदीप अ0सा0—4 ने भी अपने न्यायालयीन कथनों में उपरोक्तानुसार कथन करते हुये तथा जिरह में भली भांति स्थिर रहते हुये फरियादी एवं जप्ती व गिरफतारीकर्ता अधिकारी शेषदेवराम अ0सा0—2 के उक्त कथनों को भली भांति पुष्ट किया है।
- 12. मामले में जप्तशुदा शराब की जांच करने वाले साक्षी सुदीप तोमर अ०सा०—3 ने भी अपने न्यायालयीन कथनों में जिरह में स्थिर रहते हुये दिनांक 16.08.14 को आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त गोहद के पद पर पदस्थ रहते हुये उक्त दिनांक को थाना मौ से सीलबंद हालत में अप०क० 274/14 में जप्तशुदा शराब के 4 क्वार्टर जांच हेतु प्राप्त होने पर उनका विधिवत परीक्षण करने पर उक्त चार क्वार्टर में भरे द्रव्य को देशी प्लेन मदिरा होना बताते हुये उक्त संबंध में जांच प्रतिवेदन प्र0पी0—6 दिया जाना बताया है।

 13. बचाव पक्ष द्वारा विस्तारपूर्वक किये गये प्रतिपरीक्षण के दौरान फरियादी एवं जप्ती व गिरफतारीकर्ता अधिकारी प्र0आर० शेषदेवराम भगत अ०सा०—2 सहित अन्य तीनों साक्षीगण प्र0आर० सुल्तान सिंह अ०सा0—1 व आरक्षक प्रदीप अ०सा0—4 एवं आबकारी उपनिरीक्षक सुदीप अ०सा0—3 अपने

उक्त कथनों पर न केवल भली भांति स्थिर रहे हैं, बल्कि मुख्य परीक्षण में प्रकट कथनों को दोहराते हुये उन्हें अधिक स्पष्ट किया है तथा इस संबंध में बचाव पक्ष द्वारा रखे गये समस्त सुझावों को दृढतापूर्वक गलत होना बताया है कि अभियुक्तगण को मामले में झूंठा फंसाया गया है।

- 14. यद्यपि मामले में उक्त साक्षीगण के कथनों में कुछेक छोटे—मोटे विरोधाभाष, विलोपन एवं विसंगतियाँ अवश्य प्रकट हुई हैं, लेकिन जहां एक ओर मामले के परिस्थितियों में वे इस स्वरूप के नहीं हैं, जो कि मामले की जड़ को आघात करते हो, वहीं दूसरी ओर अभिलेख से यह प्रकट है कि साक्षीगण के कथन घटना से करीब दो—ढाई वर्ष पश्चात संपादित हुये हैं और साक्षीगण के कथनों में कुछ न कुछ विरोधाभाष, विलोपन एवं विसंगतियां आना नितांत स्वाभाविक हैं, जो कि मामले में साक्षीगण को सिखाये अथवा पढ़ाये जाने की संभावना को ही न्यून करती हैं और मामले की सत्यता को बढ़ाती हैं। अतः अभिलेख पर उपरोक्तानुसार प्रकट स्वाभाविक स्वरूप के विरोधाभाष, विलोपन एवं विसंगतियों का कोई लाभ बचाव पक्ष को नहीं दिया जा सकता है।
- 15. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का अपने तर्कों में कहना है कि अभियोजन का यह मामला स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा पुष्ट नहीं है और सभी साक्षीगण पुलिस विभाग में पदस्थ होने से परस्पर हितबद्ध साक्षी हैं, लेकिन अभिलेख से यह प्रकट है कि प्रश्नगत घटना आवासीय क्षेत्र की नहीं होकर बेहट रोड़ सोरा मोड की पुलिया के पास की है और रात के साढ़ सात—आठ बजे की है एवं वर्तमान परिवेश में स्वतंत्र साक्षीगण स्वयं को परेशानी में डालने से बचने के लिये प्रायः साक्षीगण बनने से बचने की भावना को दिखदर्शित कर रहे हैं तथा सम्मानीय न्यायदृष्टांत करमजीत सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ देहली एडमीनिशट्रेशन (2003)5 एस.सी.सी. 297 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया जा चुका है कि पुलिस अधिकारी की साक्ष्य को अन्य साक्षीगण की साक्ष्य की तरह लेना चाहिये तथा विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि अन्य साक्षीगण की पुष्टि के अभाव में पुलिस अधिकारी की साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है यह उपधारणा पुलिस अधिकारी के पक्ष में भी लेना चाहिये तथा अच्छे आधारों के बिना पुलिस अधिकारी की साक्ष्य पर विश्वास न करना और संदेह करना उचित परिपाटी नहीं है।

- 16. इसी प्रकार सम्मानीय न्यायदृष्टांतों नाथू सिंह विरूद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 ए.आई. आर. 1973 एस.सी. 2783, काले बाबू विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. 2008(4) एमपीएचटी 397 एवं बाबूलाल विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. 2004(2) जेएलजे 425 में भी यह भली भांति सुस्थापित किया जा चुका है कि पंच गवाहों के समर्थन न करने के बाद भी यदि पुलिस साक्षीगण की साक्ष्य विश्वास योग्य हो तो उसे विचार में लेना चाहिये तथा मात्र इस कारण कि अन्य साक्षीगण कहानी का समर्थन नहीं करते हैं पुलिस अधिकारी की गवाह अविश्वसनीय नहीं हो जाती है एवं पुलिस के गवाहों की साक्ष्य को यांत्रिक तरीके से खारिज करना अच्छी न्यायिक परंपरा नहीं है।
- 17. विचाराधीन मामले में अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान निर्दोष होना एवं झूंठा फंसाया जाना प्रकट किया है, लेकिन जहां एक ओर उक्त संबंध में अभियुक्त पक्ष द्वारा अभिलेख पर कोई प्रमाण पेश नहीं किये गये हैं, वहीं दूसरी ओर उपर के पैराओं में किये गये विवेचन के प्रकाश में फिरियादी एवं जप्ती व गिरफतारीकर्ता अधिकारी शेषदेवराम भगत अ0सा0—2 के उक्त कथनों की पुष्टि अन्य साक्षीगण सहित महत्वपूर्ण दस्तावेजों से भली भांति पुष्ट हुई है और अभिलेख पर इस संबंध में कुछ भी नहीं है कि अभियोजन पक्ष के साक्षीगण की अभियुक्तगण से पूर्ववर्ती कोई अदावत रही है या फिर उनके द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध असत्य कार्यवाही करने के लिये कोई आधार रहा है, बिल्क फिरियादी एवं जप्ती व गिरफतारीकर्ता अधिकारी शेषदेवराम भगत अ0सा0—2 सहित अन्य साक्षीगण द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में संपादित किये जाने के कारण धारा 114 साक्ष्य विधान के अंतर्गत उसके सही होने की उपधारणा होती है।
- 18. अतः उक्त समस्त के आलोक में जहां एक ओर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किये गये उक्त तर्क तात्विक नहीं पाये जाते हैं, वहीं दूसरी ओर अभिलेख पर अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत महत्वपूर्ण एवं विश्वासप्रद साक्ष्य के आधार पर विधि की आत्मा के अनुरूप अभिलेखगत साक्ष्य का उचित रूप से विवेचन करते हुये दोनों अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 34—1—क म0प्र0 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धी पूर्णतः उचित होना पाई जाती है। साथ ही विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध अपराध में परिपक्व

आयु एवं स्वेच्छाचारिता को देखते हुये परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ नहीं दिये जाने में भी कोई भूल कारित नहीं की है। अतएव उक्त संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये निष्कर्ष विधि एवं तथ्य के अनुरूप होकर पूर्णतः उचित होना पाये जाने से पुष्टि की जाकर उनकी सीमा तक अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है।

- 19. अब जहाँ तक विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये दण्डादेश का प्रश्न है, विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को धारा 34—1—क म0प्र0 आबकारी अधिनियम के दोषसिद्ध आरोप में 6—6 माह के साधारण कारावास से एवं 1000—1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है और अर्थदण्ड के भुगतान में व्यतिकृम होने की दशा में 15—15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताये जाने का आदेश दिया गया है। अपीलार्थी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को दी गई जेल की सजा को विधि एवं तथ्य के अनुरूप नहीं होना बताते हुये न्यायालय उठने तक के कारावास सिहत शिक्षाप्रद अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन इन आधारों पर किया गया है कि अभियुक्तगण नवयुवक होकर गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति हैं एवं वे अपने परिवार के कर्ताधर्ता हैं और उनके परिवार में छोटे—छोटे बच्चे हैं तथा उनका यह प्रथम अपराध है और अभियुक्तगण के द्वारा दोषसिद्ध अपराध में प्रायश्चित हो जाना तथा भविष्य में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होने बावत संकल्प ले लिया जाना भी प्रकट किया है एवं दोनों अभियुक्तगण के कब्जे से मात्र 27 लीटर शराब जप्त होने से अपराध की प्रकृति साधारण है।
- 20. उक्त संबंध में विचार करते हुये अभिलेख के परिशीलन उपरांत अपीलार्थी / अभियुक्त पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दर्शित आधार तात्विक होना पाये जाने एवं विगत 03 वर्ष से अधिक समय तक अभियुक्तगण द्वारा विचारण का सामना किये जाने सिहत अपराध की प्रकृति एवं दोनों अभियुक्तगण से कुल 27 लीटर शराब भर जप्त होने को दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को दी गई जेल की सजा न्यायसंगत प्रतीत नहीं होती है, बल्कि मामले के उपरोक्तानुसार संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक के कारावास सिहत शिक्षाप्रद अर्थदण्ड से दिण्डत किये जाने में ही न्याय की मंशा पूरी हो जाना प्रकट है।

- 21. अतः उक्त समस्त के आलोक में दण्डादेश की सीमा तक अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत अपील उचित होने से आंशिक रूप से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये दण्डादेश को परिवर्तित करते हुये उसके स्थान पर दोनों अभियुक्तगण सुनील व जीतू में से प्रत्येक अभियुक्त को धारा 34—1—क म0प्र0 आबकारी अधिनियम के आरोप में न्यायालय उठने तक के कारावास से तथा 4000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष निर्णय दिनांक 14.03.18 को जमा कराई गई अर्थदण्ड राशि 1000—1000 रूपये को अधिरोपित अर्थदण्ड 4000—4000 रूपये में समायोजित करते हुये शेष अर्थदण्ड की राशि कमशः 3000—3000 रूपये अभियुक्तगण सुनील व जीतू द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.05.18 को उपस्थित होकर विधिवत जमा करायी जावे एवं उपरोक्तानुसार अर्थदण्ड के भुगतान में व्यतिक्रम होने की दशा में विचारण न्यायालय द्वारा संबंधित अभियुक्त को 3 माह का साधारण कारावास भुगताया जावे एवं अर्थदण्ड की वसूली हेतु विधिवत एम०जे०सी० कायम की जावे तथा अभियुक्तगण को इस अपील न्यायालय के समक्ष ही न्यायालय उठने तक की सजा भुगताई जावे।
- 22. अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के जमानत प्रपत्र भारमुक्त किये जाते हैं।
- 23. जप्तशुदा सामग्री / सुपुर्दगीनामा के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश को यथावत रखा जाता है।
- 24. निर्णय की प्रति सहित आपराधिक प्रकरण क्रमांक 46/15 का मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.) (सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर सन्न न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.)